रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4053] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940
No. 4053] **NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5243(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.-** (1) इस आदेश को भारतीय मानक ब्यूरो रसोई उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 कहा जाएगा।

   (2) यह आदेश दिनांक 01.05.2019 से लागू होगा।

2. **मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग.–** नीचे दी गयी तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित वस्तुएं अथवा मदें उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित भारतीय मानक के अनुरूप होंगी एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण- इस आदेश के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कथित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित वस्तुएं अथवा मदें, भारत में उपयोग हेतु विनिर्माण एवं आयात के लिए मान्य होंगी।

3. **प्रमाणीकरण और प्रवर्तन प्राधिकरण.-** इस तालिका में उल्लिखित वस्तुओं अथवा मदों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो, प्रमाणीकरण और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए दंड.–** इस आदेश में निहित प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

तालिका

वस्तु अथवा मद	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
हस्त-धारित (हैण्ड-हैल्ड) ब्लैन्डर	आईएस 302 : भाग- 2 : खंड-14	घरेलू एवं समान वैद्युत उपकरणों की सुरक्षा: भाग-2 विशिष्ट अपेक्षाएं खण्ड 14 वैद्युत रसोई मशीनें।
घरेलू वैद्युत खाद्य मिक्सर (लिक्विडाइजर्स एंड ग्राइन्डर्स) तथा सैन्ट्रिफुगल जूसर।	आईएस : 4250	घरेलू वैद्युत खाद्य-मिक्सर (लिक्विडाइजर्स एंड ग्राइन्डर्स)।

[फा. सं. पी-29014/58/2017-एलईआई]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
ORDER

New Delhi, the 10th October, 2018

S.O. 5243(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) This Order may be called the Bureau of Indian Standards Kitchen Appliances (Quality Control) Order, 2018.

(2) It shall come into force with effect from 01.05.2019.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the Indian Standard specified in column (2) of the said Table and use the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards.

Explanation- For the purpose of this Order, it is hereby clarified that the goods or articles specified in column (1) of the said Table shall be applicable for import and manufacture for use within India.

3. **Certification and enforcement authority.–** In respect of the goods or articles specified in the Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for Contravention.-** Any person who contravenes the provision of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Table

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Hand-held Blender.	IS 302 : Part 2 : Sec 14	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements Section 14 Electric kitchen machines.
Domestic Electric Food Mixer (Liquidizers and Grinders) and Centrifugal Juicer.	IS 4250	Domestic Electric Food-Mixers (Liquidizers and Grinders).

[F. No. P-29014/58/2017-LEI]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5244(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक

ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

5. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.-** (1) इस आदेश को तरल पेट्रोलियम गैस के साथ उपयोग किए जाने वाले भारतीय मानक ब्यूरो घरेलू वॉटर हीटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश दिनांक 01.05.2019 से लागू होगा।

6. **मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग.–** नीचे दी गयी तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित वस्तुएं अथवा मदें, उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित भारतीय मानक के अनुरूप होंगी एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस आदेश के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कथित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित वस्तुएं अथवा मदें, भारत में उपयोग हेतु विनिर्माण एवं आयात के लिए मान्य होंगी।

7. **प्रमाणीकरण और प्रवर्तन प्राधिकरण.-** इस तालिका में उल्लिखित वस्तुओं अथवा मदों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो, प्रमाणीकरण और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

8. **उल्लंघन के लिए दंड –** इस आदेश में निहित प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

तालिका

वस्तु अथवा मद	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	(2)	(3)
तरल पेट्रोलियम गैस के साथ उपयोग किए जाने वाले इन्स्टेंटेनियस डोमेस्टिक वॉटर हीटर।	**आईएस : 15558**	**तरल पेट्रोलियम गैस के साथ उपयोग किया जाने वाला मिनी घरेलू वॉटर हीटर।**

[फा. सं. पी-29014/58/2017-एलईआई]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th October, 2018

S.O. 5244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) This Order may be called the Bureau of Indian Standards Domestic Water Heater for Use with Liquefied Petroleum Gas (Quality Control) Order, 2018.

   (2) It shall come into force with effect from 01.05.2019.

2. **Compulsory use of Standard Mark**.- Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the Indian Standard specified in column (2) of the said Table and use the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards.

   Explanation- For the purpose of this Order, it is hereby clarified that the goods or articles specified in column (1) of the said Table shall be applicable for import and manufacture for use within India.

3. **Certification and enforcement authority.**– In respect of the goods or articles specified in the Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for Contravention.-** Any person who contravenes the provision of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Table

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Instantaneous Domestic Water Heaters for use with Liquefied Petroleum Gas.	IS: 15558	Mini domestic water heater for use with Liquefied Petroleum Gas.

[F. No. P-29014/58/2017-LEI]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.17 12:36:10 +05'30'